

श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में
दिनांक-16.02.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 09.30 बजे संपन्न विभागीय
समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री रवीन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना।
2. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
3. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री उमाकान्त प्रसाद, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
6. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
7. श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक, खेल विभाग।
8. श्री रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
9. श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
10. श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना), खेल विभाग।

कार्यवाही

(1) सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(क) पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण

पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हेतु पटना जिले के पुनपुन अंचल अंतर्गत डुमरी मौजा में 100 एकड़ भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना निर्माण के संबंध में विभाग स्तर पर दो अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने तथा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ख) सभी जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना

प्रथम चरण में 4-5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कार्यशील किया जाना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पूरी सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को

17.2.26

दिया जाय तथा प्राधिकरण को पत्र भेजकर इसका सर्वेक्षण का कार्य मार्च, 2026 के अंतिम सप्ताह तक कराने निदेश दिया गया।

(ग) पंचायत स्पोर्ट्स क्लब के लिये दी जाने वाली सुविधाएँ

बिहार राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत एवं 154 नगर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया जा चुका है।

स्पोर्ट्स क्लब को क्रियाशील बनाने एवं दी जानेवाली सुविधाओं का आकलन हेतु जिला खेल पदाधिकारी द्वारा स्पोर्ट्स क्लब के पदधारकों के साथ बैठक से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने एवं साथ ही प्राप्त सुझाव के आधार पर स्पोर्ट्स क्लब को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

उपर्युक्त के संबंध में जिलावार ऑफ-लाइन प्राप्त सुझावों तथा समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर प्राप्त सुझावों को श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक द्वारा समेकित करते हुए प्रशाखा-04 को उपलब्ध करायेगी। पी0पी0टी0 तैयार करने का निदेश प्रशाखा-04 को दिया गया।

पंचायत स्पोर्ट्स क्लब को क्रियाशील बनाने हेतु मार्गदर्शिका शीघ्र तैयार करने का निदेश दिया गया।

(घ) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बैठक की जा चुकी है। जो भवन शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, वहां भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से रंगरोगन/जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य कराये जाने का निदेश दिया गया। वैसे भवनों की सूची भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र भेजी जाय। प्रथम चरण में 4-5 जिला एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने हेतु श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।

(च) मेडल लाओ नौकरी पाओ

मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया ट्रायल के माध्यम से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा

कराया जा रहा है। खेल विधावार सूची एवं पी0पी0टी0 में ट्रायल की तिथि निर्धारित करते हुए पी0पी0टी0 तैयार करने का निदेश श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक को दिया गया।

(छ) खेल विभागान्तर्गत अवसंरचनाओं एवं सुविधाओं का लाभ

जिला स्तर पर उपलब्ध खेल भवन सह व्यायामशाला में मल्टी जिम अधिष्ठापित है। आमजनों/खिलाड़ियों के लिए शुल्क के आधार पर इसके उपयोग की विभागीय मार्गदर्शिका पूर्व से निर्गत है।

राज्य के विभिन्न प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों में प्रचलित खेल विधा के अनुरूप प्रशिक्षक स्थानीय स्तर के खिलाड़ियों में से खेल प्रशिक्षण के लिये चिन्हित एवं सम्बद्ध करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 को निदेश दिया जा चुका है।

उपर्युक्त के संबंध में जिला स्तर पर आम आदमी को कैसे सुविधा पहुँचाई जाय, इस संबंध खेल विभाग के Website में लिंक उपलब्ध कराने तथा NIC, पटना को पत्र भेजे जाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक को दिया गया।

(ज) जिलों के द्वारा दिये गये फीडबैक को समेकित करते हुए पी0पी0टी0 तैयार किया जाय, जिसमें शा0 शि0 को भी खेल क्लब से जोड़ना है एवं पंचायतों में खेल सामग्री की सूची (पांच हजार के अंदर) तैयार करने का निदेश श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(झ) नालंदा जिला के बिन्द प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(ट) प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं से संबंधित नोटिस बोर्ड लगाये जाने एवं प्राप्त आवेदन से संबंधित एक अलग रजिस्टर में अंकित करने का निदेश दिया गया।

(ड)

सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला खेल पदाधिकारी को सोमवार एवं शुक्रवार को आमजनों के समस्याओं से संबंधित सुनवाई की कार्यवाही का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ठ) साई के तर्ज पर एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र को सुदृढ़ करने हेतु निजी भागीदारी की क्या रूप-रेखा होगी? इससे संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को अनुरोध पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(2) आगामी योजनाएँ

(i) राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना:-

विगत वर्ष राज्य में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का सफल आयोजन विभाग के द्वारा कराया गया है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं:-

(क) राज्य में महिला एशियन हॉकी प्रतियोगिता-2024, सेपकटाकरा विश्व कप-2025, पुरुष एशियन हॉकी प्रतियोगिता-2025, खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 एवं एशिया रग्बी (अंडर-20) चैम्पियनशिप-2025 आदि का सफल आयोजन किया जा चुका है।

(ख) ओलंपिक स्तर पर पदकों की प्राप्ति हेतु दीर्घकालीक खेल प्रतिभाओं के विकास की आवश्यकता को देखते हुये राज्य में ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर (OTC) की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

● आगामी वर्षों में निम्नांकित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित है:-

1. वर्ष-2026 में एफ०आई०एच० हॉकी प्री० लीग।



2. वर्ष-2028 में नेशनल यूथ गेम्स- इस संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।
3. वर्ष-2030 में विश्व कप हॉकी एवं राष्ट्रमंडल खेल।
4. वर्ष-2031 में राष्ट्रीय खेल आयोजन की तैयारी करने हेतु संबंधित प्रशाखा को निदेश दिया गया। इस संबंध में भारतीय ओलम्पिक संघ को स्मार पत्र भेजा जाय।

(ii) प्रत्येक जिला में जो प्रखंड स्तरीय स्टेडियम एवं अन्य खेल अवसंरचना बना हुआ है। उसमें से कम-से-कम 100 स्टेडियम जहाँ पर प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना अच्छी स्थिति में हैं। उसकी सूची तैयार कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से विमर्श करने का निदेश दिया गया। इस कार्य का अनुश्रवण श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा।

प्रत्येक जिला में जो कार्यशील स्टेडियम है। स्टेडियम के शीघ्र संचालन करने का उच्चस्तरीय निदेश प्राप्त है। इसी कड़ी में जो प्रशिक्षण हेतु अच्छी स्थिति में आउटडोर/इण्डोर स्टेडियम हैं। इसका भौतिक रूप से निरीक्षण करने का निदेश सभी संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों/अधीक्षक/उपाधीक्षक शा0 शि0 को दिया गया है।

दिनांक- 01.04.2026 से आरंभ होने वाले आउटडोर स्टेडियम जिन-जिन जिलों में निर्मित है। उसे आरंभ करने हेतु विभाग द्वारा पूर्व में किये गये पत्राचार के आलोक में पुनः अविलम्ब सभी जिला खेल पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए सहायक निदेशक (युवा/क्रीड़ा) को निदेशित किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में जो विद्यालय जहां आउटडोर स्टेडियम है, उसके फिजिकल शिक्षक का नाम एवं जो स्टेडियम विद्यालय में नहीं अन्यत्र अवस्थित है। वहां स्थानीय प्रशिक्षक द्वारा यदि प्रशिक्षण दी जा रही है, उसकी भी सूची की मांग की जाय। इस कार्य का अनुश्रवण सहायक निदेशक (युवा/क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा।



(iii) हाफ मैराथन, राजगीर

प्रत्येक वर्ष हाफ मैराथन का आयोजन वाल्मीकिनगर एवं राजगीर में होना प्रस्तावित है। जिसके लिए वार्षिक कैलेंडर में उक्त आयोजनों को सम्मिलित करने हेतु महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को अनुरोध पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

दिनांक— 08.03.2026 को हाफ मैराथन, राजगीर में होना है। इस हेतु आयोजन का सम्पूर्ण तैयारी उपलब्ध कराने का निदेश श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(iv) खेल सम्मान राशि

U-19 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय दल के सदस्य बिहार राज्य से श्री वैभव सूर्यवंशी को खेल सम्मान समारोह योजना के अन्तर्गत सम्मानित करने हेतु सम्मान राशि की विवरणी उपलब्ध कराने हेतु श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

3 (i) पंचायत स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय स्टेडियम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टेडियम के देख-रेख हेतु एक सफाईकर्मी की प्रतिनियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त के संबंध में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ii) राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को चिन्हित करने की कार्रवाई किया जाय ताकि समुचित प्रशिक्षण हेतु विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों में भेजा जा सके।



निर्मित आउटडोर स्टेडियम के उस क्षेत्र में प्रशिक्षित खेल विधाओं में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) को निदेश दिया गया।

(4) प्राथमिकताएँ

(i) विपत्रों का ससमय भुगतान

विपत्रों का ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा प्रशाखा पदाधिकारी-02 एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय लिपिक द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रमाण पत्र दिया जाय कि अबतक कोई भी विपत्र भुगतान हेतु लंबित नहीं है। संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि सभी का भुगतान हो चुका है।

(ii) आवंटन

(क) सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रशाखा पदाधिकारी-02 द्वारा बजट उपबंध के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये गये स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश सूची तैयार कर संबंधित से उपयोगिता प्रमाण-पत्र की मांग की जाय।

36 आवंटनों में से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 30 आवंटनों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इस क्रम में प्रशाखा पदाधिकारी-2 द्वारा बताया गया कि 28 आवंटनों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ही प्राप्त हुआ है। सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि प्राप्ति के आधार पर उसकी पुष्टि कर ली जाय।

निदेशक, बि0रा0खे0प्रा0, पटना द्वारा शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगले 02 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।



उपर्युक्त के संबंध में श्री रविन्द्र नाथ चौधरी, निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) उपयोगिता प्रमाण-पत्र

- (1) BTC- 42A (TV NO. and Bill No. के साथ)
- (2) चेकलिस्ट
- (3) Bill/Voucher की छायाप्रति (अभिप्रमाणित)
- (4) स्वीकृत्यादेश की प्रति
- (5) आवंटनादेश की प्रति

उपरोक्त सभी संबंधित कागजात के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पूर्व के आवंटन यदि शेष है, तो उस संबंध में पत्राचार करने (जिसमें स्थापना एवं अन्य मद) साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025, खेल विभाग एवं खेल निदेशालय में कराये गये कार्यों का बकाया राशि से संबंधित संचिका अविलम्ब उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कर्णांकित शीर्षों में उपबंधित बजट को सामान्य बजट के अंतर्गत शामिल करने के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध करने हेतु श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना) खेल विभाग को निदेशित किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(iii) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से निम्नांकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है:-

1. विगत वर्षों में आयोजित की गई विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए जो राशि उपलब्ध कराई गई है। उस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विस्तृत रूप से मदवार एवं एजेंसीवार दी जाय।



2. खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 में उपलब्ध कराई गई राशि का विस्तृत उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा जाय।

3. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय और कम से कम 15-16 स्कूल का क्षेत्र भ्रमण कर केन्द्रों के संचालन संबंधी कठिनाईयों का निराकरण कराते हुए प्रशिक्षण सुचारू रूप से आरंभ करने की कार्रवाई की जाय।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा 27 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बि०रा०खे०प्रा०, पटना द्वारा बताया गया कि अगले सप्ताह 03 और एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया जायेगा।

संयुक्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा) द्वारा जिला स्तरीय आउटडोर स्टेडियम, पंचायत खेल मैदान के निरीक्षण के दौरान जिले में संचालित एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र के आवासन, भोजन, प्रशिक्षण, पठन-पाठन एवं खेल उपस्कर से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षुओं से स्वयं वार्ता कर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

4. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा उपयोग किये जा रहे खेल प्रशिक्षकों को मासिक भुगतान किया जा रहा है, परन्तु उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। उसका आकलन नहीं है। उनको एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों में या बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर में उपयोग में लगाया जाय और एक-एक प्रशिक्षकों के कार्य का आकलन किया जाय। कौन-कौन प्रशिक्षक कहाँ क्या काम कर रहे हैं? उसका लिखित प्रतिवेदन के साथ पी०पी०टी० के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।



5. भारत सरकार के खेल नीति के अनुरूप संशोधित राज्य खेल नीति उपलब्ध कराने हेतु श्री हिमांशु कुमार उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को दिया गया।

(iv) राज्य खेल अकादमी, राजगीर में पदाधिकारी/कर्मियों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में

राज्य खेल अकादमी, राजगीर हेतु एक प्रशाखा पदाधिकारी, एक लेखा पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का प्रतिनियुक्त करना आवश्यक है। इस संबंध में स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(v) MIS Module (App) – पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को निदेशित किया गया है। अबतक 6023 खेल अवसंरचनाओं का विवरण जिलों द्वारा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

समीक्षा के क्रम में पूर्ण/स्वीकृत/निर्माणाधीन एवं खेलो इंडिया योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार की योजना का पूर्ण विवरण एवं **अद्यतन फोटोग्राफ** भी **प्रत्येक सप्ताह** अपलोड किये जाने का निदेश सभी जिला खेल पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को दिया गया। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारी एवं उपाधीक्षक, शा0शि0 बिहार को भी पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

उपर्युक्त के संबंध निदेश दिया गया कि पिछले दो सप्ताह में कितने पंचायत/प्रखंड/जिला/प्रमंडल स्तरीय एवं अन्य निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं की विवरणी फोटो सहित विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं डिलिट किया गया, इससे संबंधित सूची के साथ बैठक में उपस्थित होंगे।



(vi) भू-अर्जन हेतु आवंटन- वर्ष 2025-26 में मंत्रिमंडल द्वारा 574 करोड़ रुपये भू-अर्जन हेतु स्वीकृति दी गई है। जिसमें 144 करोड़ ₹0 का भुगतान समाहर्ता, पटना को कराने का आदेश निर्गत है।

(5) नियुक्ति से संबंधित अधियाचना

पाँच नियुक्ति नियमावली के आलोक में रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जा चुकी है। अधियाचनाओं के संबंध में आयोगों से अद्यतन स्थिति प्राप्त किया जाय।

क्रीड़ा प्रशिक्षक के रिक्त 379 पदों का पद सृजन के आलोक में 21 खेल विधा का रोस्टर तैयार किया जाय तथा आयोग के पत्र के आलोक में परामर्श भेजने की कार्रवाई की जाय।

उपर्युक्त के संबंध में श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव आयोग से शीघ्र नियुक्ति हेतु वार्ता करेंगे।

(6) खेलो इंडिया से संबंधित मामले

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 के आयोजन के जिलों यथा- नई दिल्ली, पटना, नालंदा, गया, बेगुसराय एवं भागलपुर को आवंटन दिया जा चुका है। पटना जिला से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला पदाधिकारी, पटना को इस संबंध में स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(7) खेल विधेयक

खेल विधेयक (2025) पर विधिक्षा हेतु संचिका विधि विभाग, बिहार, पटना को भेजा जाना है। कार्य का शीघ्र निष्पादन हेतु अनुश्रवण किया जाय।

(8) बैठक के संबंध में

(क) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के लंबित मामलों का समीक्षा हेतु अगली बैठक दिनांक-11.03.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित करने का निदेश दिया गया।



(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर के साथ लंबित लंबित मामलों का समीक्षा हेतु अगली बैठक दिनांक—11.03.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(ग) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के साथ बैठक लंबित मामले के संबंध में अगली बैठक दिनांक— 11.03.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:15 बजे आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(घ) सचिव महोदय द्वारा हॉकी से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन के साथ परियोजना निदेशक, वुडको दिनांक—25.02.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 10:30 बजे समीक्षात्मक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(च) पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना निर्माण हेतु भू-अर्जन से संबंधित अगली बैठक दिनांक— 09.03.2026 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे होगी।

(9) सुलभ संगणक

सुलभ संगणक की बाईडिंग प्रति मंत्री महोदय कोषांग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, खेल विश्वविद्यालय, राजगीर, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, खेल विभाग एवं खेल निदेशालय में सुलभ संगणक को भेजे जाने का निदेश पिछले बैठक में दिया गया था। अगली बैठक तक यह सुनिश्चित किया जाय की सभी कार्यालयों में सुलभ संगणक उपलब्ध हो गया है या नहीं?

(10) ग्राम/नगर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण

(क) 06 पंचायतों में खेल मैदान चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु 02 जिलों यथा— अरवल (04) एवं गया (02) से प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिलों के जिला पदाधिकारियों को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन पंचायत स्तरीय खेल मैदानों का सूची/विवरण प्राप्त किया जाय। जिला खेल पदाधिकारी एवं खेल विभाग के पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यक्रम बनाने का निदेश दिया गया।

(15)

(ग) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा 8053 ग्राम पंचायतों में से 4704 ग्राम पंचायतों में 5055 खेल मैदान का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 269 निर्माणाधीन है। शेष 3349 पंचायतों में भी खेल मैदान निर्माण कराने हेतु सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

जिलावार, प्रखंडवार एवं पंचायतवार खेल मैदानों की सूची शीघ्र तैयार कर जिला खेल पदाधिकारियों/अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा० शि० को भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(11) आउटडोर स्टेडियम निर्माण/जीर्णोद्धार

(क) 198 प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। 173 प्रखण्डों में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 25 प्रखण्डों हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है। जिन प्रखण्डों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, उन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन:-

क्र०	जिला	प्रखंडों की संख्या	कार्य पूर्ण	कार्य अपूर्ण	कार्य प्रारंभ नहीं	निर्माणाधीन / प्रगतिपर	वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत	प्रस्ताव प्राप्त	प्रस्ताव अप्राप्त/ मानक अनुरूप भूमि नहीं
1	38	534	257	10	29	46	77	15	125

- (i) राज्य के 231 प्रखंडों में कुल 257 आउटडोर स्टेडियम निर्मित है।
- (ii) निर्माणाधीन/प्रगति आउटडोर स्टेडियम की संख्या 46 है।
- (iii) वित्तीय वर्ष 2025-26 में 77 आउटडोर स्टेडियम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।



(iv) 02 आउटडोर स्टेडियम के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।

(v) 02 प्रखंडों में दो-दो स्टेडियम निर्माणाधीन है।

जिन आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना को भेजा गया है। उसका प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना को पत्र भेजा जाय तथा साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कितने प्राक्कलन लंबित है एवं कितने प्राक्कलन विभाग को भेजा दिया गया है। इससे संबंधित सूची के साथ भी बैठक में निगम, पटना के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) जिन प्रखण्डों में आउटडोर स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को स्मार पत्र लिखा जाय।

सभी जिलों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। इसे समेकित करते हुए PPT के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

(ग) संबंधित जिला खेल पदाधिकारियों अधीक्षक/उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, बिहार से जो अच्छी स्थिति में स्टेडियम हो, जिसमें खेल कार्यक्रम शुरू हो सके, उसकी सूची शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(12) जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशाला

(क) 25 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 13 जिलों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं अद्यतन स्थिति से संबंधित सूची विभाग द्वारा तैयार किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव महोदय द्वारा सभी जिला खेल पदाधिकारी से प्रपत्र के माध्यम से पुनः प्रतिवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(ख) खेल भवन-सह-व्यायामशाला संचालन के संबंध में विहित प्रपत्र विकसित किया जाय। इस प्रपत्र में सूचना जिला खेल पदाधिकारी से प्राप्त कर, इसकी समीक्षा साप्ताहिक बैठक में PPT के माध्यम से की जाय।

④

(ग) जिन जिलों में खेल भवन-सह-व्यायामशाला का निर्माण हो चुका है, उन जिलों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्राप्त करें-

- I. खेल भवन-सह-व्यायामशाला खेल विभाग के प्रभार में है या कोई अन्य सामग्री या अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं।
- II. खेल भवन-सह-व्यायामशाला की सुरक्षा, रख-रखाव, साफ-सफाई हेतु कर्मियों के संख्या एवं उनके भुगतान की क्या स्थिति है।
- III. जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय खेल भवन-सह-व्यायामशाला में अधिष्ठापित है या नहीं।
- IV. बिजली भुगतान की क्या स्थिति है।
- V. सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन, वाहन, ट्रेनर है या नहीं।
- VI. खेल भवन में खेल सामग्री है या नहीं।
- VII. इन सभी के संबंध में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हेतु एक प्रपत्र तैयार कर ली जाय।
- VIII. क्या AC, जेनरेटर सेट, आर0ओ0 वाटर प्यूरीफायर का अधिष्ठापन पूर्व से किया गया है अथवा नहीं?
- IX. क्या सुरक्षा गार्ड एवं सफाईकर्मियों की व्यवस्था है, यदि हाँ तो कितने सुरक्षाकर्मियों एवं कितने सफाईकर्मियों हैं?
- X. क्या जिम एवं खेल उपकरण का उपयोग करने वाले व्यक्ति/खिलाड़ियों से शुल्क लिया जाता है, यदि हाँ तो शुल्क की राशि कितनी है?

उपर्युक्त कार्यों का अनुश्रवण श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव करेंगे।

खेल भवन-सह-व्यायामशाला कैसे उपयोग हो रहा है एवं कैसे उपयोग होगा? इसके संबंध में एक लिंक तैयार करने एवं पी0पी0टी0 तैयार करने हेतु श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया।



(13) प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण

प्रमंडल स्तर पर खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु भागलपुर, में सरकारी भूमि चिन्हित कर भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया है। इस संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।

प्रमंडल स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु नक्शा उपलब्ध कराने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को तैयार कराने का निदेश दिया गया।

(14) राज्य स्तरीय अवसंरचना निर्माण/जीर्णोद्धार

(i) मोईनुल हक स्टेडियम

सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA), की अगली बैठक दिनांक— **18.02.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे** में निर्धारित की गई है। इसकी सूचना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को दिया जाय।

(ii) बी०पी० सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर पटना का पुर्ननिर्माण

बी०पी० सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, पटना के पुनर्निर्माण हेतु प्राक्कलन प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त के संबंध में श्री सपज्ञा ओमीड, सहायक निदेशक (योजना) को निदेश दिया गया कि योजना की स्थिति कैसी होगी? इसकी गणना कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करेंगे।

(15) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर से प्राप्त सभी पत्रों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।



विश्वविद्यालय संविधि से संबंधित मामले पर विद्वान महाधिवक्ता के निदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय।

(16) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान किये गये घोषणा की अद्यतन स्थिति

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेल अवसंरचना निर्माण हेतु सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त सभी अवसंरचना निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं/कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण कराया जाय। साथ ही अवसंरचना निर्माण कार्य का अनुश्रवण किया जाय।

(17) एस.जी.एफ.आई. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया)

उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की कुल राशि ₹20,00,00,000/- का स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिन जिलों से प्राप्त नहीं हुई है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र से संबंधित अद्यतन स्थिति के साथ निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को प्रत्येक बुधवार को अपराह्न 2:30 बजे VC के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में शामिल होने का निदेश दिया गया।

(18) माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई

माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायक से निर्माण संबंधित प्राप्त पत्रों का सूची तैयार कर लिया जाय।

(19) जिलों में निर्मित/निर्माणाधीन खेल अवसंरचनाओं का निरीक्षण कार्यक्रम

(क) श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव एवं श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक



साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को अवगत करायेंगे।

(ख) प्रत्येक जिला का भ्रमण सहायक निदेशक (युवा) एवं सहायक निदेशक (क्रीड़ा) द्वारा किया जायेगा। इन दोनों के साथ सहायक अभियंता रहेंगे। इसके अन्तर्गत सहायक निदेशक (युवा)/सहायक निदेशक (क्रीड़ा) एक दूसरे के अन्तराल पर जायेंगे। निरीक्षण हेतु जिलावार क्षेत्र भ्रमण का अगले एक साल का कार्यक्रम (सोमवार एवं बुधवार को छोड़कर) जल्द निर्धारित कर सचिव को संयुक्त सचिव द्वारा अवगत कराये जाने का निदेश दिया गया।

निरीक्षण निम्न अवसंरचनाओं का किया जाना है:—

1. खेल भवन—सह—व्यायामशाला, भवन
2. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र
3. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम
4. नगर एवं ग्राम पंचायत में निर्मित खेल अवसंरचना
5. प्रमण्डल स्तरीय खेल मैदान
6. इण्डोर स्टेडियम
7. एम0आई0एस0
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में घोषित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
9. संबंधित कार्यालय के कर्मियों की सूची।
10. आवंटन एवं उपयोगिता प्रमाण—पत्र की राशि से संबंधित मामले।

क्षेत्र भ्रमण हेतु आने—जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व स्थापना शाखा द्वारा किया जायेगा।

संबंधित जिला के निरीक्षण किये जाने वाले खेल अवसंरचना की सूची संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए खेल अवसंरचनाओं के कार्यकारी एजेंसी को भी उपस्थित रहने हेतु संबंधित को पत्र भेजे जाने के साथ संबंधित



जिला के जिला पदाधिकारी को निरीक्षण से संबंधित सूचना भेजी जाय तथा उनसे सम्पर्क कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश गया।

विधानसभा सत्र तक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत सहायक निदेशक (युवा) को क्षेत्र भ्रमण स्थगित करने का निदेश दिया गया।

(20) खेल विभाग की वेबसाईट

खेल विभाग के वेबसाईट पर विभागीय सूचनाओं को अपलोड करने हेतु निम्नवत् निदेश उप निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को दिया गया

(क) मंत्रिमंडल से अनुमोदित संलेखों, संकल्पों, दिशानिर्देशों एवं महत्वपूर्ण पत्रों को आई0टी0 प्रबंधक से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायेंगी।

(ख) सुलभ संगणक का विभागीय वेबसाईट पर अलग से प्रतीक (ICON) बनाना।


(ग) विभागीय वेबसाईट को सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य विभागों के तर्ज पर परिष्कृत करना।

(21) सभी प्रशाखा पदाधिकारी निर्गत महत्वपूर्ण पत्रों, दिशानिर्देशों एवं अधिसूचना आदि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 प्रबंधक को अलग से प्रतिलिपि देंगे।


19/2/2026
(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था०-05-06/2024.849/ पटना/दिनांक-23:..2/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


19/2/2026
सचिव।

ज्ञापांक- 1/स्था०-05-06/2024.849/ पटना/दिनांक-23:..2/2026

प्रतिलिपि:- कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल),
/निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास



विभाग, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना/संयुक्त सचिव/उप निदेशक/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त
सचिव/सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा, योजना)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी
जिला खेल पदाधिकारी/अधीक्षक/उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, बिहार/ आई0टी0
मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-2-26


19/2/2026
सचिव।